



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2009, शनिवार/चैत्र 29—वैशाख 5, 1931
No. 14] NEW DELHI, APRIL 19—APRIL 25, 2009, SATURDAY/CHAITRA 29—VAISAKHA 5, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

• सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—
केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री जेकब बेन्जमिन कोशि, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् केरल उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवाविधि तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-1/II]

एस. दुइक्ले, उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 46.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

That Shri Justice Jacob Benjamin Koshy, Judge of the Kerala High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Kerala High Court.

[No. K. 11017/9/2008-US-1/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री समिंदर रुद्रय्या बन्नुरमठ, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवावधि तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-1/II]

एस. टुइक्ले, उप सचिव

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 47.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

That Shri Justice Samindar Rudrayya Bannurmth, Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Kerala High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Karnataka High court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् पटना उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवावधि तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-1/II]

एस. टुइक्ले, उप सचिव

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 48.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

That Shri Justice Chandramauli Kumar Prasad, Judge of the Patna High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Patna High court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री आफताब हुसैन शइकीया, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने मूल संवर्ग अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय से बाहर रहने की सेवावधि तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यूएस-1/II]

एस. टुइक्ले, उप सचिव

New Delhi, the 9th April, 2009

G.S. R. 49.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

That Shri Justice Aftab Hussain Saikia, Judge of the Gauhati High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Sikkim High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10 % of the basic pay per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Gauhati High court.

[No. K. 11017/9/2008-US-I/II]

S. TWICKLY, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2009 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्गों, के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य	9*(2009) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12000-375-16500 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		(10)	
(8)	(9)		(10)			
लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

प्रोन्नति :

ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 10000-15200 रुपए के वेतनमान में उप-निदेशक, जनगणना कार्य।

ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है, तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से ज्यादा या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए उन्होंने अपने कनिष्ठों जो ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके हों सहित अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में, 10000-15200 रु. या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित (सांख्यिकी सहित) या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) या नृविज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष;

(ii) सांख्यिकीय आंकड़े संग्रहण में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव योजना, संगठन और जनगणना अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय आंकड़ों का सारणीकरण और प्रसार में होना चाहिए।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित (सांख्यिकी सहित) या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) या नृविज्ञान या समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष;

(ii) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में तीन वर्ष का अनुभव। फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) :

1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य

—अध्यक्ष

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2. भारत के महारजिस्ट्रार

—सदस्य

3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय

—सदस्य

[फा. सं. ए-16011/10/2004-प्रशा. II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 17th April, 2009

G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India and Ex-Officio Census Commissioner for India (Joint Director of Census Operations) Recruitment, Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director of Census Operations, in the Office of the Registrar General, India, and in the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and the offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, Joint Director of Census Operations Group 'A' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Director of Census Operations	9* *(2009) subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable

1393 GI/09-2

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)	(12)

Not applicable

Promotion failing which by deputation.

Promotion : Deputy Director of Census Operations in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years' regular service in the grade. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for appointment, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories :—

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

(i) Master's Degree in Statistics or Operation Research or mathematics (with Statistics) or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Anthropology or Sociology of a recognised University or equivalent;

(12)

(ii) Ten years' experience in Statistical Data Collection out of which three years should be in Planning, Organization and conduct of Census or Surveys, Tabulation and Dissemination of Statistical data.

Desirable:

(i) Second Class Master's Degree in Statistics or Operation Research or Mathematics (with Statistics) or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Anthropology or Sociology of a recognized University or Equivalent.

(ii) Three years' experience in Administration, Establishment and Accounts matters.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding the appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):—

- | | |
|--|-----------|
| 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Registrar General, India | —Member |
| 3. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs. | —Member |

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.

(14)

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. A-16011/10/2004-Ad-II]

D. S. SAINI, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844 तारीख 26 जून, 1975, सा.का.नि. 801 तारीख 21 जून, 1984 तथा सा.का.नि. 415 तारीख 4 मई, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कांस्टेबल	25* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। #कार्य चालन संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-I 5200-20200 रु. श्रेणी वेतन- 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों, रेल संरक्षण बल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस कार्मिकों से 17 पद (ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वन/वन्यजीव कार्मिकों से 8 पद।	(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, वन्यजीव विभागों, पुलिस बलों, रेल संरक्षण बल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेट या समतुल्य। (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 53 वर्ष होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	8*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-1 5200-20,200 श्रेणी वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

1393 GI/09-3

(11)	(12)
100% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	<p>प्रोन्नति : ब्यूरो के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुए है; या</p> <p>(ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या इसके समतुल्य जिन्होंने मूल काडर या विभाग के 1900 रु. श्रेणी वेतन वाले वेतन बैंड-I-5200-20,200 रु. या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है ।</p> <p>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी ।</p>

(13)	(14)
1. कार्यालय प्रधान 2. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का एक सहायक निदेशक 3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबद्ध अवर सचिव	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अवर श्रेणी लिपिक	8*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-I 5200-20,200 रु. श्रेणी वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता	2 वर्ष
2. टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति परन्तु :		
(क) टंकण में उक्त अर्हता न रखने वाला व्यक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि उस श्रेणी में अर्द्ध-स्थायी के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या पुष्टि के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता है।		
(ख) शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है परन्तु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइप करने में समर्थ होने के लिए उपयुक्त अवस्था में नहीं है।		

(11)	(12)
50% प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के नियमित आधार पर पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 1900 रु. के श्रेणी वेतन वाले वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।</p> <p>सीधी भर्ती : 90 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और 10 प्रतिशत रिक्तियां उक्त कार्यालय में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से, जो मैट्रिकुलेशन हैं या जिनके पास समतुल्य अर्हता है और चतुर्थ श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है, विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा भरी जाएंगी, परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष) यदि इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी और न भरी गई रिक्तियां अगले वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएंगी।</p>

(13)	(14)
1. कार्यालय प्रधान	-अध्यक्ष
2. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का एक सहायक निदेशक	-सदस्य
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबद्ध अवर सचिव	-सदस्य
लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. आशुलिपिक श्रेणी-3	4*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड-I, 5200-20,200 रु. श्रेणी वेतन 2400 रु।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष : (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
(8)			(9)	(10)		
1. किसी मान्यत प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।			लागू नहीं होता	2 वर्ष		
2. अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए।						
(11)			(12)			
50% प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।			प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभागों में 2400 रु. के श्रेणी वेतन वाले बैंड-I, 5200-20,200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।			
(13)			(14)			
1. कार्यालय प्रधान			-अध्यक्ष		लागू नहीं होता।	
2. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का एक सहायक निदेशक			-सदस्य			
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबद्ध अवर सचिव			-सदस्य			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. तकनीकी सहायक (वन्यजीव परिरक्षण)	4*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-I 5200-20,000 रु. श्रेणी वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : विज्ञान में डिग्री जिसमें प्राणी विज्ञान हो। वांछनीय : (i) प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) वन्य जीव जन्तु और वनस्पति के संग्रहण और अभिज्ञान में अनुभव। टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
100% सीधी भर्ती (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. ड्राईवर	4*(2009) 3(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपित्रत, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-I 5200-20,200 रु. श्रेणी वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

(7)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)	
आवश्यक : मोटरकार की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो, मोटर यांत्रिकी का ज्ञान और कम से कम 5 वर्ष तक मोटर कार चलाने का अनुभव। वांछनीय : राजकीय मान्यताप्राप्त विद्यालय से मिडिल स्तर उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	
(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 8-3/2008-एफ.ई. {वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (समूह 'ग' पद)}]

मालती रावत, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 20th April, 2009

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the notification Numbers GSR 844, dated the 26th June, 1975, GSR 801, dated the 21st June, 1984, and GSR 415, dated the 4th May, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group. 'C' posts in the Wildlife Crime Control Bureau, under the Ministry of Environment & Forests, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wildlife Crime Control Bureau, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Constable	25*#(2009) *Subject to variation depending upon the workload #Liable to be deployed any where in India depending on operational needs	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-1 Rs. 5200-20,200 Grade Pay Rs. 2,000	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruitments		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	
Period of probation, if any		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)		(11)		(12)	
Nil		By deputation with 17 Posts from Police Personnel of Central or State or Union Territory Police Forces, Railway Protection Force, Central Bureau of Investigation, Narcotics Control Bureau (ii) 8 Posts from Forest/Wildlife Personnel of State/Union Territories		Officers under the Central or State Government or Union Territories :— I. Holding analogous posts on regular basis in the Central/State/Union Territory, Wildlife Departments, Police Forces, Railway Protection Force, Central Bureau of Investigation, Narcotics Control Bureau; and II. Matriculate from a recognized Board/University or equivalent. Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 53 years.	

If a Departmental Promotion Committee exists
what is its composition

Circumstances in which Union Public Service
Commission to be consulted in making
recruitment

(13)

(14)

Not Applicable

Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Upper Division Clerk	8* (2009) *Subject to variation depending upon the workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-1 Rs. 5200- 20,200 Grade Pay Rs. 2400	Non Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)
2 Years	100% by promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:-From amongst the Lower Division Clerk of the Bureau with five years of regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central or State Government or Union Territories:—</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or</p> <p>(ii) Lower Division Clerks or its equivalent with 8 years of regular services in PB-I -5200-20200 with Grade pay of Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 56 years.</p>

(13)	(14)
(1) Head of Office	—Chairman
(2) An Assistant Director of the Wildlife Crime Control Bureau	—Member
(3) Concerned Under Secretary from the Ministry of Environment & Forests	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 Lower Division Clerk	8* (2009) *Subject to variation depending upon the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	PB-I Rs. 5,200-20,200 Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
18 to 25 years (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 -The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of Andaman and Nicobar island or the Union Territory of Lakshadweep).	Essential : (1) Matriculation or equivalent from a recognized Board or University. (2) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting provided: (a) that a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale for quasi permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting. (b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed, subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.		Not applicable		
(10)	(11)		(12)		
2 Years	50% by Deputation and 50% by Direct Recruitment failing which by Deputation.		Deputation : —Officers of the Central or State Government or Union Territories holding analogous posts on regular basis with five years of regular service in the scale of pay of PB-I Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1,900 or equivalent in the parent cadre or Department. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 56 years. Direct Recruitment: 90% of vacancies will be filled by direct recruitment and 10% vacancies shall be filled by selection from amongst the Class-IV employees working in the said office who are matriculates or possess equivalent qualification and have rendered 5 years service in Class-IV, through a departmental examination, the maximum age limit for eligibility for the examination being 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribe Employees), Provided that the maximum number of persons to be recruited by this method shall be limited to 10% of vacancies occurring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over to the next year.		

1393 GI/09-5

(13)		(14)
(1) Head of Office	—Chairman	Not Applicable
(2) An Assistant Director of the Wildlife Crime Control Bureau	—Member	
(3) Concerned Under Secretary from the Ministry of Environment & Forests	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4 Stenographer Grade-III	4* (2009) *Subject to variation depending upon the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	PB-1 Rs. 5200- 20,200 Grade Pay Rs. 2,400	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
18 to 25 years (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).	(1) Matriculation or its equivalent from a recognized Board or University. (2) Should possess minimum speed of 80 words per minute in English shorthand and 40 words per minute in typing.	Not applicable

(10)	(11)	(12)
2 Years	50% by Deputation and 50% by Direct Recruitment failing which by Deputation.	Deputation :—Officers of the Central or State Government or Union Territories holding analogous posts on regular basis in the scale of pay of PB-1 Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 24,00 or equivalent in the parent cadre or Department. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 56 years.

(13)		(14)
(1) Head of Office	—Chairman	Not Applicable
(2) An Assistant Director of the Wildlife Crime Control Bureau	—Member	
(3) Concerned Under Secretary from the Ministry of Environment & Forests	—Member	

377

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Technical Assistant (Wildlife Preservation)	4* (Four) (2009) *Subject to variation depending upon the workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-I Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
18 to 25 years (Relaxable for Govt. Servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).		Essential : Degree in Science with Zoology. Desirable : (i) Master's Degree in Zoology; (ii) Experience in collection and identification of wild fauna and flora. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.		Not applicable	
(10)	(11)		(12)		
2 years	100% by Direct Recruitment (through Staff Selection Commission)		Not applicable		
(13)	(14)				
Not applicable	Not applicable				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Driver	4* (2009) *3(2009) *Subject to variation in workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-I Rs. 5200— 20,200 with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
25 years (Relaxable for Govt. Servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled		Essential : Possession of a valid licence for Motor Cars, knowledge of Motor Mechanism and experience of driving a motor car for at least 5 years.		Not applicable	

13936I/09-6

(7)	(8)	(9)
<p>Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the the Central Government from time to time).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).</p>		
(10)	(11)	(12)
2 years	By direct recruitment	Not applicable
(13)	(14)	
Not applicable	Not applicable	
<p>[F. No. 8-3/2008-FE {Wildlife Crime Control Bureau (Group 'C' Post)}] MALTI RAWAT, Under Secy.</p>		

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 52.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में विशिष्टता व्यवसाय समूह केन्द्र से संबंधित समूह संख्या 35 में क्रम संख्या 18 के सामने स्तंभ संख्या 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“विशिष्टता स्कीम केन्द्र के अधीन वैद्युत सैक्टर में और वैद्युत मशीन और ऊर्जा आपूर्ति की मरम्मत और अनुरक्षण में विशिष्टता केन्द्र के उन्नत मोड्यूल में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण”

[फा. सं. डीजीईटी-23(5)/(3005)/2006-एपी]

तरसेम लाल, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356, तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सा. का. नि. सं. 594(अ), तारीख 14 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 20th April, 2009

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules 1992, in Schedule 1, in Group No. 35 relating to Centre of Excellence Trades Group, against serial number 18, for the entries in column 6, the following entries shall be substituted, namely :—

“Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence in Repair and Maintenance of Electrical Machines and Power Supply.”

[F. No. DGET-23(5)/(3005)/2006-AP]

TARSEM LAL, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356 dated the 1st August, 1992 and last amended vide number G.S.R. 594(E) dated 14th August, 2008.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 53.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षा नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षा (संशोधन) नियम, 2009 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. शिक्षा नियम, 1992 की अनुसूची 1 में, समूह संख्यांक 19, के अधीन,—
 - (i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 8 में “10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं उत्तीर्ण या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण” प्रविष्टि के स्थान पर “8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य” प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (ii) क्रम संख्यांक 1 से 4 के सामने स्तंभ 6 और स्तंभ 7 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः “2 कटाई और सिलाई” और “1 वर्ष” प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी;
 - (iii) क्रम संख्यांक 5 के सामने,—
 - (क) स्तंभ 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 “3. कटाई और सिलाई”;
 - (ख) स्तंभ 7 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् “1 वर्ष” प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. डीजीईटी-2(4)/2007-एपी]

तरसेम लाल, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. 356 तारीख 1 अगस्त, 1992 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा. का. नि. 594(अ) तारीख 14 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया ।

New Delhi, the 20th April, 2009

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules 1992, in Schedule I, under Group number 19,—
 - (i) against serial number 1, in column 8, for the entry “passed 10th class under 10+2 examination system or its equivalent”, the entry “passed 8th class examination or its equivalent” shall be substituted;
 - (ii) against serial number 1 to 4, in column 6 and column 7, after the existing entries, the entries “2. Cutting and Sewing” and “1 year” shall respectively be inserted;
 - (iii) against serial number 5,—
 - (a) in column 6, after the existing entries, the following entry shall be inserted, namely :—
“3. Cutting and Sewing”;
 - (b) in column 7, after the existing entries, the entry “1 year” shall be inserted.

[F. No. DGET-2(4)/2007-AP]

TARSEM LAL, Dy. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356 dated the 1st August, 1992 and was last amended vide number G.S.R. 594(E) dated the 14th August, 2008.